तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख की इस हुकम का में जारी हुक
8-9-23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजीनामे के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन का आदेश पारित किया जावे। टेस्टी. नं. 2 ता 4 की तरफ से श्री भागीरथ जाट Adv. ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12-9-23 को पेश हो।	Smt. Sunita Rani, Arun Kumar, Deep Kumar, Rekha Rani, 2 to 4, Bhagirath Jat, Advocate
12-9-23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामे के अवलोकन व प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि पक्षकारों की माता का स्वर्गवास दिनांक 6-5-22 को हो गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार पक्षकारों के मध्य 1/6-1/6 बराबर हिस्सा बटवारा के आदेश पारित किये हैं जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है जिसकी ताईद अधिवक्ता पर हस्ताक्षर करवा की गई एवं पक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा पहचान की गई है अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-06-2022 निरस्त किया जाकर आज दिनांक को पक्षकारों के खाते की भूमि को राजीनामे के अनुसार 1/5-1/5 बराबर हिस्सा दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/9/23.	SDO